कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ़

पट्टा संख्या :- 231 दिनांक 28/03/2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह मार्च के 28 वे दिन नगरपालिका मण्डल सूरजगढ़ (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सूरजगढ़ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रशीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना [illegible] राजस्व ग्राम सूरजगढ़ के खसरा संख्या 835 1384/85 क्षेत्रफल 29242.15 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या एसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 4446276/- अंके [illegible] मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिक्ति अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ [illegible]प रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण [illegible] निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नि[illegible] के अधीन कोई फीस प्रभा[illegible] नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धा[illegible] या ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप [illegible] लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि [illegible] अभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत [illegible]गा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लि[illegible] दायी [illegible] होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शि[illegible] बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत [illegible]णदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा स[illegible]।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : सूरजगढ़
राजस्व ग्राम : सूरजगढ़
खसरा नम्बर : 835, 1083/835, 836
योजना का नाम : कब्जा
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज / मीटर : 29242.15

पूर्व – पश्चिम आबादी/रा. भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ....
सीमा उत्तर / सिंघाना रोड दक्षिण – मानचित्र संलग्न है ।
पूर्व 234.6, 227. 457.3 फीट पश्चिम 734.3 फीट
उत्तर 594.3 फीट दक्षिण 153.6 फीट

पट्टा तैयारकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

नगरीय निकाय की और से

आज सन् 20.12 के माह अप्रैल के 28 वें दिन

श्री हरिशंकर, कृष्णदत्त अधिशाषी अधिकारी ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

अध्यक्ष नगरपालिका (हस्ताक्षर एवं मोहर) नगर निकाय - प्रथम पक्ष (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम महेश कुमार
   पुत्र नन्दलाल शर्मा
   व्यवसाय व्यापार
   निवास स्थान सूरजगढ़

   साक्षी

2. नाम सुभाष चन्द्र शर्मा
   पुत्र बनवारीलाल
   व्यवसाय नौकरी
   निवास स्थान सूरजगढ़

   साक्षी

आज ....सन् 20....... के माह.......... के .... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ओमप्रकाश, पवन, प्रमोद कुमार डूडी

लीजधारक - द्वितिय पक्ष

लीजधारक द्वारा कार्यालय .... में हस्ताक्षर किये गये । 21.5.13

साक्षी :-

1. नाम महेश कुमार
   पुत्र नन्दलाल शर्मा
   व्यवसाय व्यापार
   निवास स्थान सूरजगढ़

   साक्षी

2. नाम सुभाषचन्द्र
   पुत्र बनवारीलाल
   व्यवसाय नौकरी
   निवास स्थान सूरजगढ़

   साक्षी

(मोहर: ...पुस्तक सं. 1 जिल्द 2380 पृष्ठ सं. 19 ... 214 ... पर पंजीयन किया गया। अतिरिक्त प्रति पु. सं. 1 जिल्द 570 पृष्ठ सं. 99-110 ...)

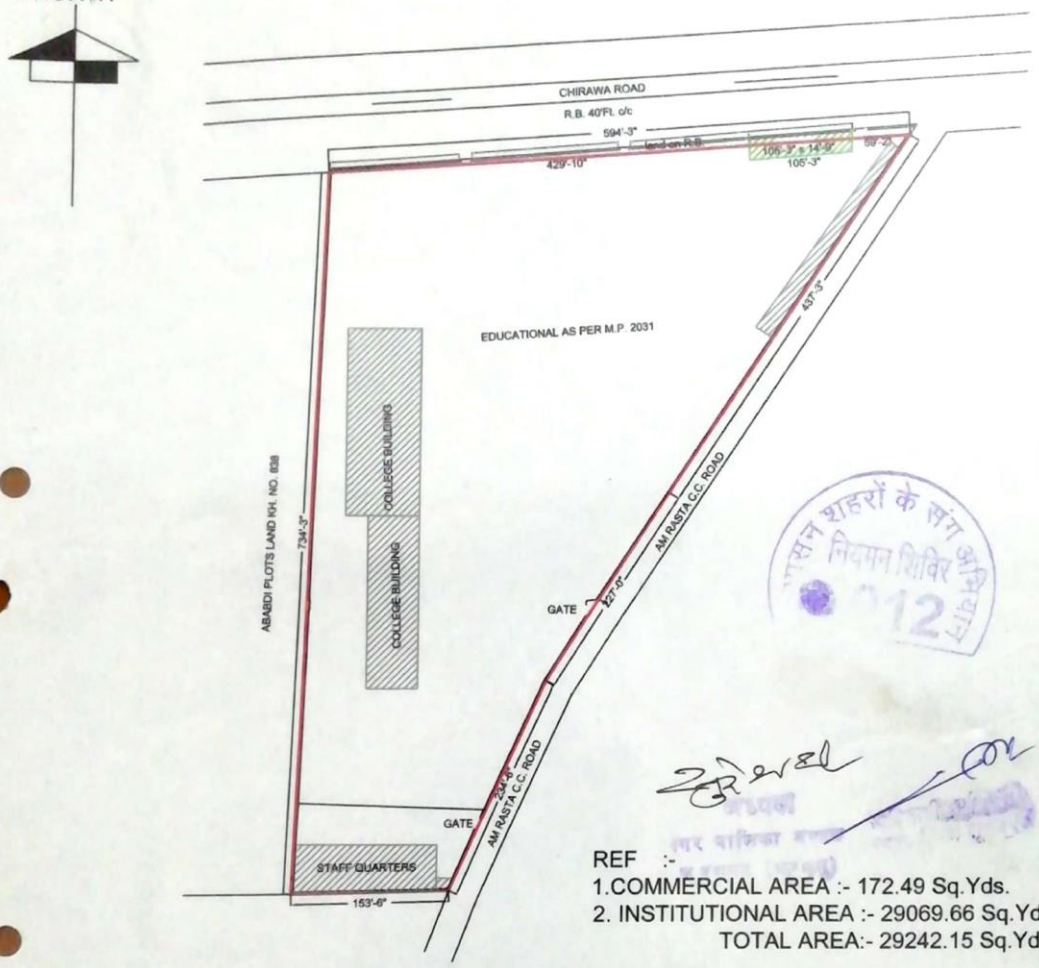

REF :-
1.COMMERCIAL AREA :- 172.49 Sq.Yds.
2. INSTITUTIONAL AREA :- 29069.66 Sq.Yds.
TOTAL AREA:- 29242.15 Sq.Yds.

EXISTING PLAN SHOWING OF INSTITUTIONAL BUILDING FOR SH. SRI GOPAL BARASIA AND PAWAN BARASIA MANEGING TRUSTI, GANPAT RAI RAMKISAN CHERITABLE TRUST, MUMBAI, IN LAND KH.NO. 835,1383/ 835,836, SITUATED AT YOJANA CHIRAWA ROAD COLONY PHASE-II, W.NO. 2, SURAJGARH, DISTT.JHUNJHUNU (RAJ.)

OWNER CUM SECRETARY :- SH. SRI GOPAL BARASIA S/o SH. JUGAL KISORE BARASIA, BY CASTE - - MAHAJAN, SURAJGARH, DISTT. JHUNJHUNU (RAJ.)

SIG. OF OWNER :-	शामिल रहे	SCALE :- 1"=16'-0"	D. By:- M. K. V E R M A, ARCHITECT , SURAJGARH, PH. 01596-237621, 9351237621
		DATE :- 22/3/2013	
		DWG.NO. - AAC/511/13	

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ, जिला–झुन्झुनूं (राज0)

Office Ph.- 01596-237463

Email- surajgarh.jaipur@yahoo.com

क्रमांक :/न0पा0सू0/2017–18/947

दिनांक : 22-8-17

शुद्धि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नगरपालिका सूरजगढ द्वारा पट्टा संख्या 231 दिनांक 28.03.2013 को श्री गोपाल बरासिया, पवन बरासिया मैनेजिंग ट्रस्टी गणपतराय रामकिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जारी किया हुआ जोकि भूलवंश नाम गलत हो गया है अब उक्त पट्टे को श्री गणपतराय रामकिशन बरासिया चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई ट्रस्टी श्री गोपाल बरासिया, पवन बरासिया के नाम से पढा जावे। जोकि सही व सत्य है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 22-8-17 को जारी किया जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरजगढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरजगढ़
जिला झुन्झुनूं (राज.)

शामिल रहे

कनिष्ठ सहायक

Scanned by CamScanner